फर्द अहकाम

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान [illegible] बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या– अस्थाई निषेधाज्ञा– 32/2018 / 2022

29/8/2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार रिपोर्ट व पूर्ण पत्रावली का मनन कर पाया गया कि यह वाद बावत घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा दायर किया गया है, परन्तु इसमें अनुतोष केवल तकासमें व स्थाई निषेधाज्ञा का चाहा गया है। यह वाद सन् 2018 में दायर किया गया। न्यायालय में दर्ज पत्रावली 88/2014 रामपाल बनाम राजूनाथ का मनन कर पाया गया कि इस पत्रावली 32/2018 व पूर्व में दर्ज पत्रावली 88/2014 में पक्षकार, अनुतोष, विषय–वस्तु पूर्ण रूप से समान है। जब पूर्व में 88/2014 पत्रावली में समान पक्षकारों (सभी खातेदारों) के मध्य विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 522/2 ग्राम कालवाड के तकासमें का अनुतोष चाहा गया है, तो सन् 2018 में दायर यह वाद सेक्शन 10 सीपीसी के तहत "Res Subjudice" श्रेणी में आने के कारण चलने योग्य नहीं है।

अतः यह वाद सेक्शन 151 सीपीसी व सेक्शन 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार खारिज किया जाता है। इस वाद में चाहा अनुतोष वाद 88/2014 में प्रदान किया जायेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्शदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 15:56:38 IST
Reason: SelfAttested